

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

Dr. Shaily Chaudhary

Assistant professor, Department of Sociology

Constituent Government College Mirapur Bangar (Bijnor).

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University Bareilly, Uttar Pradesh

सार

महिलायें पहले समूह में केवल बचत की भावना से जुड़ती थी। लेकिन अब महिलाये समूह की बैठको में बचत के अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं एवं उनके विकास के संबंध में भी चर्चा करने लगी है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं क्योंकि इन समूहों में कार्य करने से उनके स्वाभिमान, गौरव व आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप महिलाओं की क्षमताओं में बढ़ोतरी होती है। आज भारत दुनिया भर में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखता है किन्तु हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियां महिला समूहों की गतिशीलता, व्यवहार्यता व साध्यता में अनेक चुनौतियां खड़ी होती हैं।

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों

प्रस्तावना

दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की कुल आबादी की आधी महिलाओं को सशक्त बनाए बिना सुदृढ़ भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता, विशेषकर 'ग्रामीण महिला' को सशक्त किए बिना।

स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मुहम्मद युनुस का प्रयास उल्लेखनीय रहा है। इन्होंने 1970 से ही लघुवित्त आन्दोलन की शुरुआत की थी जिसके तहत गरीबों, विशेषकर औरतों को बिना किसी शर्त के ऋण देने की व्यवस्था की गयी और आज लघुवित्त आंदोलन विश्व के 7 हजार संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे लगभग 1 करोड़ 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। वास्तव में स्वयं सहायता समूह गाँव के व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो अपनी इच्छा से संगठित होकर, नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी बचत कर सामूहिक निधि में जमा करते हैं तथा जिसका उपयोग सदस्यों की आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार समूह के सदस्य हफ्ते अथवा महीने में एक बार बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं, जिससे ये महिलायें गरीबी, बेरोजगारी तथा निरक्षरता के चक्रव्यूह से निकलकर सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं और न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक एवं राजनैतिक आयामों पर भी सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हैं।

स्वयं सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से महिलाओं ने एक नई पहचान बनाई है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह ने समूह की महिलाओं को अन्य महिलाओं के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत करने तथा एक दूसरे की मदद करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विशेष योगदान दिया है। स्व - सहायता समूह में कार्य करने के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास स्वाभिमान, आत्म गौरव में वृद्धि होती है। घरेलू परिधि के बाहर एक समूह के रूप में छोटी - छोटी बचत इकट्ठी करके ऋण लेकर बैंक कर्मचारियों से संपर्क कर लघु उद्यम स्थापित करके समूह की बैठकों की कार्य वृद्धि करने से उन्हें गौरव महसूस होता है।

‘महिला सशक्तिकरण’ का सीधा - साधा अर्थ

है - सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। दूसरे शब्दों में, महिलाओं को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, मनचाही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देना व घर - परिवार व समाज के बारे में स्वतंत्र निर्णय करने का हक देना, सशक्तिकरण है। अन्य अवधारणा के अनुसार, ‘महिला सशक्तिकरण’ का सीधा सा अर्थ है, महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं के हाथ में अधिकार देना तथा उन्हें स्वावलंबी बनाना। इसके अंतर्गत अन्य अर्थ में, महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य पुरुषों की बराबरी करना न होकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की सशक्त भागीदारी से है।

महिला सशक्तिकरण को दुनिया के लगभग सभी समाजों में स्त्री पुरुष भेदभाव को कम करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा है। सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बेहतर अवसर मिलते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में वे जागरूक बनें।

भारत में भी यह अनुभव किया गया कि व्यक्तिगत अलग - अलग वित्त पोषण की तुलना में सामूहिक हित चिंतन अधिक प्रभावी माध्यम हो सकता है एवं इसी के फलस्वरूप ” स्वयं सहायता समूह ” की अवधारणा विकसित हुई। स्वयं सहायता समूह, निर्धनों की पहुंच ऋण तक सुनिश्चित करने का एक कारगर एवं अल्पव्ययी बचत की आदत के विकास का एक तरीका है। स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य निर्धनों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना व उन्हें सामर्थ्यवान बनाना है। स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित एक समूह है, जिसमें समूह के सदस्य अपनी इच्छा से जितनी चाहे बचत आसानी से कर लेते हैं, उसका अंशदान एक सम्मिलित निधि में करने तथा समूह के सदस्यों को उत्पादकता अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में देने के लिए परस्पर सहमति होती है।

विगत दो दशकों में भारत में स्व सहायता समूहों का गठन व्यापक पैमाने पर हुआ है। ये समूह मुख्य रूप से निर्धन ग्रामीण महिलाओं के जीवन के आर्थिक पक्ष को प्रभावित करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। तनखा वेल एवं अपमास ने अपने स्व सहायता समूहों एवं बैंकों के संयोजन संबंधी अध्ययनों में पाया कि समूह के सदस्यों ने स्वीकार किया है कि उनकी संपत्ति, आय व रोजगार में वृद्धि हुई है। ऋण लेने की प्रकृति भी उपभोग के स्थान पर आय अर्जित करने के उद्देश्य में परिवर्तित होने लगी है। बचत में वृद्धि और पूंजी में वृद्धि के कारण स्वयं की आर्थिक सक्षमता उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त करता है। आर्थिक सेवा व आय में वृद्धि के प्रभाव ने स्व सहायता समूह के सदस्यों को घरेलू खर्चों में वृद्धि तथा मौलिक आवश्यकताओं जैसे बेहतर पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य की क्षमता को उन्नत किया है। अपमास के अध्ययन में आन्ध्रप्रदेश के एक दिलचस्प रूझान के विषय में बताया गया है कि अब साहूकार उधार देने के काम से हटकर जमीन - मकान संबंधी कारोबार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। समूह के सदस्यों को हर बार और लगातार अधिक राशि का

ऋण प्राप्त होता है और भविष्य में उधार मिलने का आश्वासन मिलने पर सदस्य बड़ी राशि संपत्ति बनाने में एवं आय अर्जन हेतु निवेश कर सकते हैं।

अध्ययन में निष्कर्ष दिया है कि महिलाओं का एक अत्यधिक बड़ा प्रतिशत स्व सहायता समूहों की सदस्यता के बाद सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। महिलाओं की समूह में भागीदारी उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने, आत्मविश्वास अर्जित करने, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण करने योग्य बनाता है।

स्व सहायता समूहों के पास देश में सामाजिक, आर्थिक क्रांति लाने की शक्ति है। यह आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रस्थिति, निर्णय निर्माण को परिवर्तित करने में योगदान कर सकता है और महिलाओं की बाहरी गतिविधियों में वृद्धि करता है।

अध्ययन में दिखाया है कि स्व सहायता समूह के सदस्यों ने अपनी आर्थिक अवस्था को उनकी तुलना में जो समूह के सदस्य नहीं हैं अधिक उन्नत अनुभव किया है।

स्वयं सहायता समूहों के निष्पादन से सम्बन्धित किये गये विभिन्न सर्वेक्षणों में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि स्वयं सहायता समूहों को लघु ऋण प्रदान करने से ग्रामीण महिलाओं की भौतिक गतिशीलता, निर्णय के अधिकारों में वृद्धि, सौदा शक्ति तथा विभिन्न स्तरों पर समस्या समाधान करने की शक्ति में वृद्धि होने के कारण ग्रामीण विकास प्रक्रिया में उनका योगदान उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इनके विकास के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार के इस प्रयास की सार्थकता भी सामने आ रही है कि गाँव की महिलायें घर के बाहर निकलकर बैंक, ब्लाक, हास्पिटल तथा बाजार के कार्यों को स्वयं कर रही हैं और विभिन्न व्यवसायों को कुशलता पूर्वक कर यह सिद्ध कर चुकी हैं कि मात्र वे घर के कामों में ही कुशल नहीं, बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को करने में भी निपुण हैं। इस प्रकार महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण का यह प्रयास सराहनीय है।

उद्देश्य -

1. स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों।
2. स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं

स्वयं सहायता समूह का संचालन -

समूह के सुचारु रूप से संचालन के लिए प्रत्येक समूह अपने सदस्यों में से ही तीन प्रतिनिधि - अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव की नियुक्ति करता है, ताकि समूह क्रियाविधि, सुचारु रूप से चल सके। पदाधिकारियों को चुनने का आधार मुख्यतः शिक्षा तथा आत्मविश्वास होता है, ताकि समूह में हिसाब - किताब का काम ये स्वयं कर सकें। प्रायः सुविधादाता द्वारा कभी - कभी इनको समूह चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रत्येक महीने समूह की नियमित मीटिंग होती है, जो कि किसी सार्वजनिक स्थान अथवा प्रत्येक सदस्य के घर बारी - बारी से होती है। समूह की मीटिंग में प्रत्येक सदस्य का उपस्थित होना अनिवार्य होता है, अथवा अनुपस्थित होने की पूर्व सूचना सदस्य द्वारा समूह में उपलब्ध करायी जाती है, जिससे समूह के कार्यों का बेहतर नियोजन हो सके। कभी - कभी समूह के सदस्यों द्वारा अपने पड़ोसी से समूह में बचत का पैसा भेज दिया जाता है, जो कि यह इंगित करता है। समूह बनने के बाद महिलाओं का “ नाइबरहुड रिलेशन ” भी मजबूत हुआ है। मीटिंग के दौरान प्रायः महिलाओं द्वारा आपस में विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है, जैसे - ऋण के लेन - देन, बचत, नये सदस्यों के शामिल होने की प्रक्रिया, गाँव की समस्या तथा

समाधान , पर्यावरणीय समस्या , स्वास्थ्य समस्या , बच्चों की शिक्षा , राजनैतिक भागेदारी , ऋण का उपयोग तथा बचत के तरीके आदि। समूह के सदस्य इस बात के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करते हैं कि वे किस प्रकार छोटी - छोटी बचत कर एक बड़ी राशि समूह से प्राप्त कर सकते हैं।

महिला स्वयं सहायता समूह समान स्तर की 10 से 20 महिलाओं का वह समूह है , जिसके सदस्य स्वेच्छा से इसकी सदस्यता प्राप्त कर पारस्परिक सहयोग व एकता जैसे सिद्धांतों के आधार पर बचत व साख जैसी आर्थिक गतिविधियों की शरूआत कर सकते हैं। विभिन्न समूहों के अध्ययन से एक विशेष तथ्य सामने आया है कि महिलाओं के समूह अथवा ऐसे समूह जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है , अधिक सफल व निरंतर कार्यशील रहे हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर समूह में महिलाओं की अधिक भागीदारी की सिफारिश की जाती है। वैसे भी महिलाओं में बचत करने की प्रवृत्ति विशेष तौर पर ' गुप्त बचत ' की प्रवृत्ति अधिक होती है।

स्वयं सहायता समूहों का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव

स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास , स्वाभिमान , आत्म - गौरव इत्यादि में वृद्धि होती है क्योंकि घरेलू परिधि के बाहर एक समूह के रूप में छोटी - छोटी बचत इकट्ठी करके , ऋण लेकर , बैंक कर्मचारियों से संपर्क , लघु उद्यम स्थापित करके , समूह की बैठकों की कार्रवाई संचालित करके महिलाओं में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास होता है :-

- **स्वनिर्णय की शक्ति** - स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में काम करने के कारण महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। महिलाओं द्वारा बैंकों के साथ लेन - देन , कागजी कार्रवाई इत्यादि करने से उनमें आत्म - विश्वास पनपता है। समूह की गतिविधियों के संचालन , बैठकों में भाग लेने से महिलाओं की स्वनिर्णय की क्षमताओं का विकास होता है जो धीरे - धीरे परिवार और समुदाय में उनकी सोच को आवाज मिलती है।
- **जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता** – समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं की गतिशीलता बढ़ जाती है। घर की चारदीवारी में कैद रहने वाली महिलाएँ इन समूहों के माध्यम से पंचायत संस्थाओं , बैंक , सरकारी तंत्र , गैर - सरकारी संगठनों , सूक्ष्म वित्त संस्थानों इत्यादि से संपर्क में आती है जिससे उनके पास अधिक सूचना एवं संसाधन होते हैं। सूचना एवं संसाधनों की उपलब्धता महिलाओं को सशक्त करती है।
- **सामूहिक निर्णय के मामलों में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता** – अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने वाली महिलाओं की सामुदायिक कार्यों में सहभागिता , पंचायत की बैठकों में उपस्थिति अधिक सक्रिय होती है। अन्य महिलाओं की अपेक्षा ये महिलाएँ अपनी बात समुदाय के सामने अधिक बलपूर्वक रख पाती है।
- **आर्थिक आत्मनिर्भरता** – स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्म - निर्भर बनती है जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वे अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती हैं। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं।

- **मनोवैज्ञानिक विकास** – स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाओं द्वारा स्वयं की पहल पर सामाजिक बदलावों के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है।
- **कौशल विकास** - हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं किन्तु इन्हीं कार्यों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है। इन समूहों को सरकारी तथा गैर - सरकारी संगठनों द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे महिलाओं की स्वयं की व्यक्तिगत या सामूहिक शक्ति बेहतर करने के लिए कौशल सीखने की क्षमता का विकास होता है।
- **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास** – इन समूहों में सामान्यतया सभी सदस्य एक जैसी सामाजिक - आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं तथा इनकी कार्रवाई में लोकतांत्रिक प्रविधियों को अपनाया जाता है जिससे महिलाओं का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास मजबूत होता है। इसका प्रभाव गांव में राजनीतिक संस्थाओं यथा ग्राम सभा, पंचायत इत्यादि पर भी पड़ता है। महिलाओं की विचारधारा को लोकतांत्रिक तरीके से बदलने की क्षमता में अभिवृद्धि होती है।
- **वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी** – आज दुनिया भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को गरीबी का मुकाबला करने में सबसे ज्यादा आशाजनक माना जा रहा है। भारत में 80 फीसदी से अधिक स्वयं सहायता समूह महिलाओं से संबद्ध हैं जिनमें भुगतान दर 95 फीसदी के आसपास है तथा गैर - निष्पादक परिसंपत्तियों का प्रतिशत बहुत कम है।

महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के विकास में बाधक तत्व

यद्यपि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है किन्तु भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को स्वयं को समूहों के रूप में संगठित होने व किसी उद्यम के विकास में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जैसे -

महिलाओं की गतिशीलता पर सीमाएं – भारत में पुरुष प्रधान समाज के कारण महिलाओं का जीवन प्रायः घर की चारदीवारी में ही सीमित होता है। इसलिए घर के बाहर जाकर स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित होने की स्थिति में उन पर अनेक प्रकार की सामाजिक बाधाएं होती हैं। महिलाओं द्वारा समूहों के रूप में संगठित होने पर भी उन्हें अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए बैंकर्स, गैर - सरकारी संगठनों, अपने उत्पादों के लिए मध्यस्थों इत्यादि से बातचीत करनी होती है जिसमें कई बार परिजनों द्वारा सीमाएं डाली जाती हैं। इसी प्रकार पुरुष जहां देर रात तक काम कर सकते हैं महिलाओं के लिए कार्य करने की अवधि अनेक कारणों से सीमित होती है।

सामाजिक प्रतिबंध – भारतीय समाज में महिलाओं के रहन - सहन, काम - काज, रोजगार इत्यादि पर अनेक सामाजिक - पारम्परिक रीति - रिवाज भी बाधा के रूप में काम करते हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वयं के उद्यम के उत्पादों का प्रचार करने व उनको शहरों तक पहुंचाने के लिए पुरुषों की सहायता लेनी पड़ती है। परिणामतः समूहों में कार्य करने के बावजूद महिलाएं स्वयं में पूर्ण विश्वास नहीं कर पाती हैं तथा पुरुषों पर निर्भरता को अपने जीवन का यथार्थ मानने लगती हैं। ऐसी स्थिति में सशक्तीकरण केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता का ही रूप ले पाता है और मनोवैज्ञानिक विकास नहीं हो पाता है।

बैंकर्स का नकारात्मक रवैया – परम्परागत रूप से बैंकों में पुरुष ग्राहक ही अधिक संख्या में होते हैं तथा महिलाएँ एक तरह से बैंकिंग सेवाओं से वंचित रही हैं। स्वयं सहायता समूहों की सदस्य के रूप में जब महिलाएँ बैंकों से ऋण इत्यादि के लिए संपर्क करती हैं तो पूर्व अनुभव के अभाव में उनकी जिज्ञासाएं व शंकाएं अधिक होती हैं किन्तु बैंकर्स की तरफ से इस स्थिति के प्रति सकारात्मक व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है जिससे महिला समूहों का मनोबल कम होता है।

निष्कर्ष

समूह की क्रियाओं में भाग लेकर महिलाएँ विभिन्न कार्यों से जुड़कर विकास के नये आयाम से जुड़ गयी हैं तथा समूह के स्तर पर नेतृत्व करने के साथ-साथ परिवार एवं समुदाय के स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता भी उभरी है। महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य ही यह है कि उनको अपने अधिकारों के प्रति सशक्त किया जाय और परिवार में निर्णय के स्तर पर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाई जाये। इस प्रकार ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके तहत अब तक 30 हजार से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। विभिन्न तथ्यों से स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, कि इन्हीं समूहों के माध्यम से महिलाओं पर किये गये घरेलू हिंसा तथा शोषण पर प्रभावशाली ढंग से रोक लगायी गई है, जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार भी आया है।

सन्दर्भ

1. यादव, सुबह सिंह (2004): ग्रामीण बैंकिंग एवं विकास, सबलाइम पब्लिकेशन, जयपुर, पृष्ठ . 285-325
2. शर्मा, प्रेमनारायण एवं विनायक वाणी (2011): गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण, भारत बुक सेन्टर, पृष्ठ - 147
3. झा, संजीव कुमार; नेटवर्क एवं स्व सहायता समूह, परिचय मार्गदर्शिका, स्टेट टेनिंग एजेंसी, स्वशक्ति उत्तरप्रदेश, आई. सी. सी. एम. आर. टी. लखनऊ हेतु विकसित, पृष्ठ . 11-15
4. मायराड़ा अनुभव; (2001) वही. पृष्ठ . 184
5. कुरूक्षेत्र - जुलाई 2019 पृष्ठ संख्या 38-42
6. कुरूक्षेत्र 2013 पृष्ठ संख्या 28-31, 40-45
7. मायराड़ा अनुभव, (2001) वही. पृष्ठ . 180-182
8. समाजकार्य: तेजस्कर पाण्डेय व ओजस्कर पाण्डेय संस्करण - 2011 भारत बुक सेन्टर लखनऊ पृष्ठ संख्या 542-543 ISBN - 978-81-76 78-172-5
9. समाजकार्य के क्षेत्र - संगीता तेज व ओजस्कर पाण्डेय संस्करण 2011 भारत प्रकाशन
10. जैन, एस .; महिलाओं के विकास में स्व सहायता समूहों की भूमिका बालाघाट जिले के विशेष संदर्भ में. 2011. पृष्ठ. 280-295

11. लखनऊ पृष्ठ संख्या 88-90 ISBN - 978-81-8002-027-8
12. एम 0 श्रीवास्तव , मुहम्मद युनुस का योगदान , योजना , 2008 , पेज -18
13. गुप्ता एवं एस 0 , स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण भारत का विकास , कुरुक्षेत्र , जुलाई -2013 , पेज , 23-26
14. चौधरी (2010) सशक्तिकरण एवं स्वसहायता समूह की अवधारणा व स्वसहायता समूहों का प्रभाव अध्याय -3
15. पुहाजेन्दी एवं बादात्या (2002) ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु स्वसहायता समूह योजना का महत्व अध्याय -6